रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 452] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 28, 2014/भाद्र 6, 1936
No. 452] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 28, 2014/BHADRA 6, 1936

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 2014

सा.का.नि. 622(अ).—अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 का और संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम, विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) की धारा 18 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग) की अधिसूचना सं. का. नि. 422(अ) तारीख 30 जून, 2014 द्वारा प्रकाशित किया गया था जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना अंतर्विष्ट है, उपलब्ध करा दी गई थी,सात दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमत्रित करते हुए प्रकाशित की गई थी;

और जनता को उक्त राजपत्र की प्रतियां 30 जून, 2014, को उपलब्ध करा दी गई थी;

और केन्द्रीय सरकार द्वारा उपर वर्णित प्रारूप नियमों पर प्राप्त सुझावों या आक्षेपों पर सम्यक्तः विचार किया गया है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) की धारा 5 और धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अमोनियम नाइट्रेट (संशोधन) नियम, 2014 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 के नियम 5 के परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह और कि विद्यमान विनिर्माणकर्ता, संप्रवर्तक, उपयोगकर्ता, परिवहनकर्ता, जहाजी, विक्रेता, कब्जाधारक, आयातकर्ता और निर्यातकर्ता 01 नवम्बर, 2014 से नियम 22 के उप-नियम (1) और उप-नियम (2) के उपबंधों का अनुपालन करेंगे";

[एफ. सं. 17(12)/2007 विस्फोटक]

शैलेन्द्र सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 553(अ), तारीख 11 जुलाई, 2012 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि. 469(अ), तारीख 9 जुलाई, 2013 द्वारा संशोधित किए गए ।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Industrial Policy and Promotion)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th, August, 2014

G.S.R. 622(E).—Whereas the draft rules were published further to amend the Ammonium Nitrate Rules, 2012, as required by sub-section (1) of Section 18 of the Explosives Act, 1884 (4 of 1884 *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry (Department of Industrial Policy and Promotion) number G.S.R. 422(E), dated the 30th June, 2014 in the Gazette of India, Part II, Section 3 Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of a period of seven days from the date on which the copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And, whereas, copies of the said Gazette were made available to the public on 30th day of June, 2014;

And, whereas, objections and suggestions received from the public on the said draft rules have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 5 and Section 7 of the Explosives Act, 1884 (4 of 1884), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Ammonium Nitrate Rules, 2012, namely:—

1. (1) These rules may be called the Ammonium Nitrate (Amendment) Rules, 2014.

   (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Ammonium Nitrate Rules, 2012, in rule 5, after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

   "Provided further that all the existing manufacturers, converters, users, transporters, stevedores, sellers, possessors, importers and exporters shall comply with the provisions of sub-rule (1) and sub-rule (2) of rule 22 from the 1st day of November, 2014".

[F. No. 17(12) 2007-Expls.]

SHAILENDRA SINGH, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India *vide* notification number G.S.R. 553(E), dated the 11th July, 2012 and subsequently amended *vide* number G.S.R. 469(E), dated the 9th July, 2013.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.